

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक—689 / 2012  
संस्थित दिनांक—29 / 08 / 2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना गढ़ी,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**विरुद्ध**

1—देवीदास पिता कृपालदास वाधवा, उम्र—45 वर्ष,  
साकिन मोहगांव, मलाजखण्ड,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—धर्मेन्द्र अवधिया पिता बनवारीलाल अवधिया, उम्र—48 वर्ष,  
साकिन मोहगांव थाना मलाजखण्ड  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्तगण**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक—04 / 02 / 2015 को घोषित)**

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—287, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक—12.05.2012 को करीब 10:00 बजे स्थान ग्राम मुरेन्डा के पास, थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत आर.ई.एस.रोड का पुलिया निर्माण में सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किये बिना अपने आधिपत्य एवं नियंत्रण की मिक्सर मशीन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर या उक्त मशीनरी की उचित व्यवस्था व देखरेख का लोप करके मानव जीवन संकटापन्न किया एवं आहत मिनेश के हाथ का पंजा चूरा कर घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—12.05.2012 को मुरेन्डा धीरी रोड में पुलिया निर्माण का कार्य पेट्टी कान्टेक्टर(ठेकेदार) आरोपीगण देवीदास एवं धर्मेन्द्र अवधिया द्वारा करवाया जा रहा था। आरोपीगण द्वारा कहा गया कि काम जल्दी—जल्दी करो नहीं तो पानी गिर जाएगा और बिल नहीं निकलेंगे। स्वयं आरोपी देवीदास अवधिया मिक्सर मशीन को चला रहा था और आरोपी धर्मेन्द्र जल्दी—जल्दी काम करो कह रहा था। उनके द्वारा मशीन को पुलिया से सटाकर रखा गया था एवं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया था। लापरवाही पूर्वक मशीन का हन्डा पलटा मसाला गिरा, जहां से मिनेश चन्द्रवे जा रहा था और उसका पैर फिसल गया जो मिक्सर मशीन से टकराया और उसका दाहिना हाथ

मिक्सर मशीन के अंदर चला गया जिससे हाथ का पंजा चूरा हो गया। आहत मिनेश ने अपना ईलाज कराने और उपचार के पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध थाना गढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-38/2012, धारा-287, 337, 338 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत मेडिकल रिपोर्ट व ईलाज के दस्तावेज प्राप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-287, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-12.05.2012 को दिन के 10:00 बजे स्थान ग्राम मुरेन्डा, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट अंतर्गत आर.ई.एस. रोड़ की पुलिया के निर्माण में सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किये बिना अपने आधिपत्य एवं नियंत्रण की मिक्सर मशीन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर या उक्त मशीनरी की उचित व्यवस्था व देखरेख का लोप करके मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, सयम व स्थान पर आरोपीगण ने आर.ई.एस. रोड़ की पुलिया के निर्माण में सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किये बिना अपने आधिपत्य एवं नियंत्रण की मिक्सर मशीन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर या उक्त मशीनरी की उचित व्यवस्था व देखरेख का लोप करके आहत मिनेश चंद्रवे को घोर उपहति कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत मिनेश चंद्रवे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना के समय आरोपीगण ठेकेदार थे और वह उनके अधीन पुलिया के कार्य में मिक्सर मशीन चला रहा था। घटना दिनांक को वह पुलिया में सीमेन्ट मसाला गड्ढे में डालने के लिए नीचे जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और उसका दाया हाथ मिक्सर मशीन के गियर में चला गया था, जिससे उसका हाथ चूरा हो गया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने मिक्सर मशीन के पास सुरक्षा का

कोई इंतजाम नहीं किया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि वहां पानी और कीचड़ भी था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने मिक्सर मशीन को पुलिया से सटाकर लगाए थे जिस कारण उसके पास से गुजरते हुए वह असंतुलित हो गया और उसका हाथ मिक्सर मशीन में चला गया। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थाना गढ़ी में किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना ईलाज नागपुर में, गढ़ी व बालाघाट में कराया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिया के मूल ठेकेदार अनिल ग्रोवर है या नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि घटना के समय वह फिसलता नहीं तो दुर्घटना नहीं होती। साक्षी ने मामले में घटना के 15-20 दिन पश्चात् थाने में रिपोर्ट किये जाने में हुए विलंब के संबंध में यह स्पष्टीकरण पेश किया है कि वह बेहोश हो गया था और ईलाज के लिए नागपुर गया था। साक्षी द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में भी रिपोर्ट लिखाने में विलंब का कारण आहत के ईलाजरत् होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार मामले में आरोपीगण के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट में हुए विलंब से अभियोजन का मामला महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना के समय मुख्य रूप से यह तथ्य पेश किया है कि उसका पैर फिसल जाने से मिक्सर में उसका हाथ चला गया, जिस कारण उसे हाथ में चोट आई थी, किन्तु साक्षी ने उक्त दुर्घटना में आरोपीगण को जिम्मेदार ठहराये जाने का कथन नहीं किया है। जबकि अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.आ. के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किये जाने के पश्चात् साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने मिक्सर मशीन के पास सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया और पुलिया से मिक्सर मशीन सटाकर लगाने के कारण उसके पास से गुजरते समय वह असंतुलित होकर गिर गया। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त मिक्सर मशीन सत्येन्द्र रजक की थी, जिसने आरोपीगण के कहने पर मिक्सर मशीन दिया था।

7— राकेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय पुलिया का काम आरोपी देवीदास करवा रहा था और वह मिक्सर मशीन चला रहा था, उस समय पानी डालने से जमीन गीली हो गई थी। आहत मिनेश घटना के समय पुलिया के नीचे प्लेट सुधारने जा रहा था, तभी उसका पैर फिसला और उसका हाथ मिक्सर मशीन में चला गया। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने मिक्सर मशीन के पास फिसलने से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाया था और यदि फिसलने के बचने के लिए उपाय किये गए होते तो फरियादी फिसलता नहीं और उसके हाथ में चोट नहीं लगती। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय वह मिक्सर मशीन चला रहा था और उस समय आरोपीगण मौजूद नहीं थे। साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया कि आहत मिनेश की लापरवाही के कारण ही उसका हाथ मिक्सर मशीन में चला गया था। साक्षी का यह भी कहना है कि यदि वह देखकर चलता तो उक्त घटना घटित नहीं होती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत मिनेश स्वयं ठेके का काम करते हुए मशीन चलाने लेकर गया था तथा उसके अलावा और भी मजदूर काम करने के लिए लाया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण से हटकर अपने प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन करते हुए यह प्रकट किया है कि स्वयं आहत मिनेश ने ठेकेदारी पर मशीन ली थी और अन्य मजदूरों को नियुक्त करते हुए स्वयं की लापरवाही के कारण घटना के समय उसका हाथ मिक्सर मशीन में चला गया था। साक्षी के उक्त कथन से अभियोजन पक्ष को समर्थन प्राप्त न होकर बचाव पक्ष को ही महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त होता है।

8— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 14.07.12 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर होते हुए उसने एक्सरे टेक्निशियन के द्वारा आहत मिनेश का एक्सरे किये जाने के पश्चात् उसकी एक्सरे प्लेट के परीक्षण में दाहिने हाथ की चारों उंगलियों में अस्थि भंग पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत मिनेश दिनांक 10.07.12 को एक्सरे कराने के लिए चिकित्सालय में आया था और आहत मिनेश के दाहिने हाथ में आई चोट पुरानी नहीं थी। साक्षी ने उक्त आहत की लगभग दो माह पुरानी चोट को पुरानी न होना प्रकट किया है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि आहत को हुई अस्थिभंग के दो माह के पश्चात् चोट पुरानी होने के संबंध में विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं और आहत की चोट में भी उक्त लक्षण दिखाई दे रहे थे या नहीं। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है।

9— डॉ.एन.एस. कुमारे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ होते हुए आरक्षक द्वारा आहत मिनेश की चोटों का परीक्षण हेतु पेश करने पर आहत के दाहिने हाथ के पंजे की उंगलियों में विकृति आना और चोट पुरानी होना पाया था। उसने आहत की उक्त चोट का एक्सरे कराने की सलाह दी थी। उसके द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आहत को आई चोट पुरानी थी और इस कारण चोट सुधरने की प्रक्रिया चालू हो गयी थी। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आहत मिनेश को उक्त उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

10— महेन्द्र सिंह टेकाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय मुरेन्डा के पास पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा था तथा आहत मिनेश मिक्सर मशीन चलाता था। उस समय कौन कार्य करा रहा था, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण पेटी कान्टेक्टर का कार्य करते थे और कार्यस्थल पर



सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपाय नहीं किये गए थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी धर्मेन्द्र से मिक्सर मशीन जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आहत मिनेश को उक्त चोट कैसे आई, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर कौन करा रहा था उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे दूसरों के बताने पर जानकारी हुई थी कि आरोपीगण पेटी कान्टेक्टर हैं। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना के समय कथित पुलिया निर्माण का कार्य कराए जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— अनुसंधानकर्ता खेमराज राणा (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-07.07.2012 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता मिनेश की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-38/2012, धारा-287, 337, 338, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक जी.एल.चौधरी के द्वारा लेख की गई है, जिस पर जी.एल.चौधरी के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण जानता है। उक्त प्रकरण की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-08.07.2012 को मिनेश की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी मिनेश, साक्षी महेन्द्रसिंह एवं दिनांक-13.07.2012 को राकेश उईके, दिनांक-22.07.2012 को साक्षी कुंवरसिंह एवं दिनांक-20.08.2012 को मिक्चर मशीन मालिक सत्येन्द्र कुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-21.07.2012 को आरोपी धर्मेन्द्र अवधिया से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 दर्शित अनुसार साक्षियों के समक्ष एक मिक्चर मशीन थाना लाकर पेश करने पर थाना गढ़ी में जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मिक्चर मशीन मालिक सत्येन्द्र कुमार से दिनांक-20.08.2012 को साक्षियों के समक्ष मिक्चर मशीन की रसीद आर्टिकल ए-1 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-21.07.2012 को आरोपी देवीदास एवं धर्मेन्द्र को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मिक्सर मशीन चलाने संबंधी सुरक्षा उपाय की रिपोर्ट उपयंत्री जनपद पंचायत बैहर से प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया है। उसके द्वारा आहत के चिकित्सीय दस्तावेज चालान के साथ संलग्न किया गया है।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा आरोपीगण से कार्य कराने के संबंध में प्रमाणपत्र नहीं लिया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि प्रार्थी के बताए अनुसार आरोपीगण कार्य करा रहे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त पुलिया निर्माण कार्य का मूल ठेकेदार कौन था, उक्त संबंध में उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपीगण के विरुद्ध फरियादी के बताने पर कार्यवाही किये जाने और पुलिया का निर्माण कार्य का मूल नियोजक व ठेकेदार के संबंध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास न किये जाने के तथ्य को प्रकट

करने से यह प्रकट होता है कि अनुसंधानकर्ता ने अपनी कार्यवाही में तात्त्विक त्रुटि करते हुए कथित मूल नियोजक को अभियोजित करने का प्रयास नहीं किया है।

13— प्रकरण में आहत मिनेश (अ.सा.1), राकेश (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रकट किया है कि आहत मिनेश स्वयं की लापरवाही से मिक्सर मशीन में फिसलकर गिर गया तथा मिनेश फिसलता नहीं तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। वास्तव में उक्त परिस्थिति में नियोजक या ठेकेदार के रूप में आरोपीगण को ही उक्त घटना के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि स्वयं आहत मिनेश ने सम्यक् तत्परता व उचित सावधानी नहीं बरती, जिस कारण वह फिसलकर मिक्सर मशीन में गिर गया तथा उसे उक्त चोट कारित हुई। ठोस साक्ष्य के अभाव में उक्त दुर्घटना में आरोपीगण के द्वारा कथित उतावलापन या उपेक्षापूर्ण कार्य किये जाने या कथित सुरक्षा का प्रबंधन हेतु जिम्मेदार होते हुए उसका लोप किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

14— विधिशास्त्र के अनुसार सिविल एवं दांडिक विधि के अंतर्गत उपेक्षा को अलग-अलग नजरिये से देखा जाता है। साधारण उपेक्षा या लापरवाही की तुलना में दांडिक मामले के अंतर्गत उपेक्षा को उच्च श्रेणी के मापदंड से देखा जाना होता है। हो सकता है कि किसी उपेक्षा के कृत्य हेतु व्यक्ति सिविल विधि के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाये किन्तु उसी आधार पर उसे दांडिक मामले में अभियोजित नहीं किया जा सकता। दांडिक मामले में आरोपीगण के घोर उपेक्षा को साबित किया जाना आवश्यक है। आहत मिनेश को कारित हुई चोट आरोपी के कृत्य अथवा लोप का सीधा परिणाम होना चाहिए, साथ ही आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध सिद्ध होने के लिए अपेक्षित उपेक्षा इतना उच्च होना चाहिए कि वह "घोर उपेक्षा" या "असावधानी" के रूप में वर्णित की जा सकती हो। उक्त के प्रकाश में कथित उपेक्षा से आरोपीगण को दांडिक मामले में आहत मिनेश की चोट तथा आरोपित अपराध के संबंध में उत्तरदायित्व ठहराया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होगा। इस प्रकार उक्त विश्लेषण के उपरांत यह प्रकट होता है कि अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थितियाँ प्रकट होती है, जिन्हें अभियोजन ने दूर नहीं किया है।

15— अभियोजन की ओर से घटना के समय निर्माणाधीन पुलिया में आरोपीगण के कथित मूल नियोजक व ठेकेदार के रूप में या पेटी कान्टेक्टर के रूप में कार्य कराए जाने के संबंध में ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रस्तुत साक्ष्य से मात्र अधिसंभावना प्रकट होती है कि आरोपीगण के द्वारा दुर्घटना कारित स्थल पर पुलिया निर्माण का कार्य ठेकेदार के रूप में कराया जा रहा था। ऐसी दशा में दांडिक मामलों में मात्र अधिसंभावना के आधार पर आरोपीगण को कथित कार्य के ठेकेदार या नियोजक के रूप में जिम्मेदार ठहराते हुए उक्त दुर्घटना हेतु उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। वास्तव में सिविल मामले में अधिसंभावना के आधार पर आरोपीगण को उक्त कार्य के समय नियोजक व ठेकेदार के रूप में उन्हें आहत मिनेश को हुई क्षति के प्रतिकर हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता हो, किन्तु उक्त सिद्धान्त को दांडिक मामले में लागू

नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन में अपना मामला आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान अंतर्गत आर.ई.एस.रोड़ का पुलिया निर्माण में सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किये बिना अपने आधिपत्य एवं नियंत्रण की मिक्सर मशीन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर या उक्त मशीनरी की उचित व्यवस्था व देखरेख का लोप करके मानव जीवन संकटापन्न किया एवं आहत मिनेश के हाथ का पंजा चूरा कर घोर उपहति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-287, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

18— प्रकरण में जप्तशुदा मिक्सर मशीन सुपुर्ददार सत्येन्द्र रजक पिता रामप्रसाद निवासी ग्राम मोहगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट